दिनांक 07.05.2024
प्रेस विज्ञप्ति 07/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सिद्धार्थनगर/थाना खेसरहा

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 07.05.2024 को थाना खेसरहा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कस्बा घोसियारी बाजार के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रामकुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खेसरहा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रामकुमार निवासी करमहिया थाना शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर।

जनपद सुल्तानपुर/थाना बंधुआकला

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 06.05.2024 को थाना बंधुआकला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त इन्द्रपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना अलीनगर जनपद चन्दौली पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद चन्दौली से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बंधुआकला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—इन्द्रपाल निवासी ग्राम रामपुर थाना बंधुआकला जनपद सुल्तानपुर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद हरदोई/थाना कोतवाली देहात

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **09 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचा 12 बोर**
- **03 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 07.05.2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम हरिपुरग्रन्ट तालाब के पास झोपडी से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1—वशीम 2—बीरू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 09 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचा 12 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त वशीम के विरूद्ध जनपद हरदोई के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 06 अभियोग एवं अभियुक्त बीरू के विरूद्ध जनपद हरदोई, सीतापुर, कन्नौज के विभिन्न थानो में डकैती, लूट, चोरी, आबकारी एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—वशीम निवासी बढैय्यनपुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद हरदोई।

2—बीरू निवासी ओमपुरी थाना कोतवाली देहात जनपद हरदोई।

बरामदगी

1—09 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचा 12 बोर।

2—03 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3—भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद जौनपुर/थाना मुंगराबादशाहपुर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **21 किलो 450 ग्राम अवैध गांजा**
- **01 कार बरामद**

दिनॉकः 06.05.2024 को थाना मुंगराबादशाहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तरहठी मोड़ के पास से 02 अभियुक्तों 1—गिरजेश 2—रतन संजय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 21 किलो 450 ग्राम अवैध गांजा, 01 कार बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना मुंगराबादशाहपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गिरजेश निवासी रूपही टाड थाना रेहडा जनपद पश्चिमी चम्पारण, बिहार।

2—रतन संजय निवासी रूपही टाड थाना रेहडा जनपद पश्चिमी चम्पारण, बिहार।

बरामदगी

1—21 किलो 450 ग्राम अवैध गांजा।

2—01 कार।

- **<u>जनपद चित्रकूट/थाना रैपुरा नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना रैपुरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामराज को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना माधौगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना माधौगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/376/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजकुमार को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।